2026 Volume: 02 Issue: 01 www.ijrpa.com ISSN 2456-9995 Review Article

International Journal Research Publication Analysis

Page: 01-09

भारत में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अवधारणा: सरकारी वित्त–प्रायोजित योजनाओं के विशेष संदर्भ में

[1]डॉ. आदित्य प्रताप सिंह, [2]डॉ. आशीष कुमार लाल

[1](पूर्वशोध छात्र राजनीति विज्ञान विभाग एम. एल. के. पी. जी. कॉलेज बलरामपुर)

[2](असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग एम. एल. के. पी. जी. कॉलेज बलरामपुर)

Article Received: 03 December 2025
Article Revised: 23 December 2025
Published on: 11 January 2026

***Corresponding Author:** डॉ. आदित्य प्रताप सिंह
(पूर्वशोध छात्र राजनीति विज्ञान विभाग एम. एल. के. पी. जी. कॉलेज बलरामपुर)

DIO: https://doi-doi.org/101555/ijrpa.3812

सारांश-

भारत में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अवधारणा संविधान में निहित उस आदर्श व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, गरिमा, सुरक्षा और संसाधनों तक न्यायसंगत पहुँच प्रदान करना है। यह शोध–लेख सामाजिक व आर्थिक न्याय के सैद्धांतिक एवं संवैधानिक आधारों का विश्लेषण करता है तथा सरकारी वित्त–प्रायोजित योजनाओं की भूमिका एवं प्रभाव को समकालीन संदर्भ में विवेचित करता है। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों—जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन–धन योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति एवं कौशल विकास योजनाओं—का तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि राज्य इन योजनाओं के माध्यम से वंचित समूहों को मुख्यधारा विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेख का निष्कर्ष यह बताता है कि यद्यपि इन योजनाओं ने सामाजिक–आर्थिक न्याय की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन पारदर्शिता, वित्तीय दक्षता, लैंगिक संवेदनशीलता, सहभागी शासन और स्थानीय अनुकूलन अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य शब्द: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, सरकारी योजनाएँ, समावेशी विकास।

प्रस्तावना

भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना विविधता, असमानताओं और जटिल सामाजिक–आर्थिक संबंधों द्वारा निर्मित हुई है। जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र और संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण समाज के बड़े वर्ग लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से बाहर रहे। स्वतंत्रता पश्चात भारत के संविधान ने इन असमानताओं को दूर करने और एक न्यायपूर्ण, समतामूलक एवं प्रगतिशील समाज की रचना के लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को राष्ट्र-निर्माण का केंद्रीय उद्देश्य माना।

इसी दृष्टि से समय–समय पर अनेक **सरकारी वित्त–प्रायोजित योजनाएँ** प्रारंभ की गईं, जिनका लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन, आजीविका संवर्धन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा क्षमता–विकास के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। यह शोध–लेख इस व्यापक संदर्भ में सामाजिक व आर्थिक न्याय की अवधारणाओं तथा सरकारी योजनाओं के बहुआयामी प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

सामाजिक एवं आर्थिक न्याय: अवधारणा और सैद्धांतिक आधार

सामाजिक न्याय की अवधारणा

सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य समाज में ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करना है जिसमें—

- व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके,
- भेदभाव से मुक्त रह सके,
- समान अवसर प्राप्त करे,
- और उनके अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय विशेषतः जाति–आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता, आदिवासी–अधिकार, विकलांग अधिकार, एवं क्षेत्रीय विषमताओं के निराकरण से संबंधित है।

आर्थिक न्याय की अवधारणा

आर्थिक न्याय का संबंध आर्थिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण, समान आय–अवसरों, रोजगार, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा तंत्र से है। इसका उद्देश्य ‘‘विकास के लाभों में समावेशी सहभागिता’’ सुनिश्चित करना है।

संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को निम्न प्रावधानों के माध्यम से सुदृढ़ करता है—

प्रस्तावना में संवैधानिक न्याय की अवधारणा

भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। यह नागरिकों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा प्रदान करने का आधार बनाती है, जिससे समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास संभव हो सके।

मौलिक अधिकार: समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 14-18)

संविधान के भाग III में वर्णित अनुच्छेद 14 से 18 समानता के मूल अधिकार को सुदृढ़ करते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त घोषित कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के दुरुपयोग को रोककर वास्तविक समानता को प्रोत्साहित करता है।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)

अनुच्छेद 21 राज्य को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने पर प्रतिबंध लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं ने इसे व्यापक बनाया—यह केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा, गोपनीयता, स्वतंत्र आवाजाही और सम्मानजनक आजीविका शामिल हैं। मेनका गांधी मामले (1978) ने इसे "उचित प्रक्रिया" से जोड़ा, जिससे यह मौलिक अधिकारों का मूल आधार बन गया।

नीति निदेशक तत्व: समान वितरण और कल्याण (अनुच्छेद 38, 39, 41, 46)

भाग IV के नीति निदेशक तत्व राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए दिशा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक व्यवस्था बढ़ावा देने का निर्देश देता है जहाँ न्याय सर्वत्र हो। अनुच्छेद 39 धन और उत्पादन साधनों का समान वितरण, सम्पत्ति संकेंद्रण रोकना और समान वेतन सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी में सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और कार्य का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों को प्राथमिकता देता है। ये तत्व मौलिक अधिकारों के पूरक हैं।

वंचित क्षेत्रों की सुरक्षा और विकेंद्रीकरण

अनुसूचित क्षेत्रों (पांचवीं अनुसूची) में जनजातीय स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है। पंचायती राज व्यवस्था (73वाँ संशोधन, 1992) ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं सहित वंचितों को सशक्त किया। 74वाँ संशोधन नगरपालिकाओं को लोकतांत्रिक बनाता है। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (SECC) और जाति जनगणना डेटा इन नीतियों को लक्षित सहायता प्रदान करने में सहायक हैं।

इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय राज्य स्वयं को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है।

सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्ति में सरकारी वित्त–प्रायोजित योजनाओं की आवश्यकता

भारतीय समाज में विस्तृत सामाजिक विषमताएँ—जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ग्रामीण-पिछड़ापन, स्वास्थ्य–असमानताएँ—राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप की मांग करती हैं। वित्तीय संसाधनों के बिना इन असमानताओं को कम करना संभव नहीं है। विशेष रूप से निम्न समूह सरकारी योजनाओं पर अधिक निर्भर रहते हैं—

- ग्रामीण एवं शहरी गरीब
- अनुसूचित जाति/जनजाति
- महिलाएँ
- दिव्यांगजन
- वृद्धजन
- लघु एवं सीमान्त किसान
- प्रवासी मजदूर
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

सरकारी योजनाएँ इन समूहों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), सब्सिडी, पेंशन, बीमा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, एवं सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान कर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को धरातल पर क्रियान्वित करती हैं।

आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली प्रमुख सरकारी वित्त–प्रायोजित योजनाएँ-

गरीबी एवं आजीविका संवर्धन की योजनाएँ-

विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, 2025-

VB-G RAM G विधेयक, 2025 भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और आजीविका की कानूनी गारंटी को और अधिक मज़बूत करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया एक महत्त्वपूर्ण कानून है। यह विधेयक विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास, रोज़गार सृजन तथा टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों और अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है तथा मनरेगा (MGNREGA) के स्थान पर एक अधिक व्यापक और उन्नत ढांचा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सुनिश्चित रोज़गार और आजीविका उपलब्ध कराना, ग्रामीण गरीबी व बेरोज़गारी को कम करना तथा आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार

को प्रति वर्ष 125 दिनों के मज़दूरी-आधारित रोज़गार की गारंटी दी गई है। साथ ही, यह केवल मज़दूरी तक सीमित न रहकर कौशल विकास, कृषि-सहायक गतिविधियों और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाला आजीविका-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कम से कम एक-तिहाई लाभार्थियों को महिलाएँ बनाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना निर्माण और क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की केंद्रीय भूमिका निर्धारित की गई है। जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार, मनरेगा की तुलना में अधिक रोज़गार दिवस, आजीविका और कौशल पर ज़ोर, तथा बेहतर योजना और निगरानी व्यवस्था के माध्यम से VB-G RAM G विधेयक, 2025 ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, पलायन रोकने और समावेशी तथा भविष्य-उन्मुख विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल सिद्ध होता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)-

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), जिसे आजीविका मिशन भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है। इसे वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं, को स्वरोज़गार और सतत आजीविका के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

NRLM का मूल दृष्टिकोण स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups – SHGs) के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को संगठित करना है। इसके अंतर्गत गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं, को SHGs में जोड़ा जाता है ताकि वे सामूहिक रूप से बचत, ऋण और आजीविका गतिविधियों में भाग ले सकें। मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार को कम से कम एक महिला सदस्य के माध्यम से SHG से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और बाज़ार से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाता है। NRLM के माध्यम से SHGs को बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सूक्ष्म उद्यम और अन्य आय-सृजन गतिविधियाँ शुरू कर सकें। इसके साथ ही महिलाओं को उद्यमिता, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएँ-

1. प्रधानमंत्री जन–धन योजना

प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत शून्य बैलेंस पर बैंक खाते खोलने, रूपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा तथा वित्तीय साक्षरता की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), सब्सिडी और सरकारी सहायता सीधे बैंक खाते में प्राप्त होने लगी। PMJDY ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर आर्थिक असमानता कम करने और सामाजिक–आर्थिक न्याय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2. अटल पेंशन योजना एवं वृद्धावस्था पेंशन

अटल पेंशन योजना और विभिन्न वृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ वृद्धजन, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। वहीं सामाजिक पेंशन योजनाएँ कमजोर वर्गों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये योजनाएँ आर्थिक निर्भरता को कम कर गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करती हैं और सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यवहार में लागू करती हैं।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को न्यूनतम दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को चावल, गेहूँ और मोटा अनाज रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है। यह अधिनियम भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को कम करने का एक प्रभावी साधन है। NFSA आर्थिक न्याय का प्रत्यक्ष उदाहरण है क्योंकि यह भोजन को अधिकार के रूप में मान्यता देता है और गरीबों की बुनियादी आवश्यकता को सुनिश्चित करता है।

4. ICDS एवं POSHAN अभियान

एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और POSHAN अभियान महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु प्रमुख योजनाएँ हैं। इनके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पोषण शिक्षा प्रदान की जाती है। POSHAN अभियान ने कुपोषण, अल्पपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। इन योजनाओं के माध्यम से आंगनवाड़ी तंत्र को सुदृढ़ कर मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को मजबूती दी गई है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना न केवल आवास की समस्या का समाधान करती है, बल्कि सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता भी सुनिश्चित करती है। PMAY सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है क्योंकि यह बेघर और कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधा प्रदान कर जीवन स्तर में सुधार लाती है।

6. स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना और स्वच्छता को जन–आंदोलन बनाना है। इसके अंतर्गत शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया गया है। इस मिशन ने महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वच्छता को बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित कर इस योजना ने सामाजिक न्याय और जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ किया है।

7. सर्व शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा योजना

सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये योजनाएँ प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा में नामांकन, प्रतिधारण और गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित हैं। विद्यालय अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कम करना और समान अवसर प्रदान करना सामाजिक न्याय का मूल आधार है।

8. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएँ

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक बाधाओं को दूर कर उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। छात्रवृत्तियाँ सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती हैं और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का कार्य करती हैं। यह सामाजिक न्याय और समान अवसर की अवधारणा को सशक्त बनाती हैं।

9. कौशल भारत मिशन

कौशल भारत मिशन का उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकी, व्यावसायिक और डिजिटल कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह मिशन उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप मानव संसाधन विकसित करता है। कौशल विकास से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

10. आयुष्मान भारत – PM-JAY

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च वहन कर स्वास्थ्य–जनित गरीबी को रोकती है। इससे गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ होती हैं। यह योजना स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में स्थापित कर सामाजिक और आर्थिक न्याय को मजबूत करती है।

11. स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs)

स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। ये केंद्र निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं। ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाकर स्वास्थ्य असमानता को कम किया गया है। यह स्वास्थ्य–न्याय और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

12. उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इससे महिलाओं को धुएँ से मुक्त रसोई मिली, जिससे स्वास्थ्य, समय और जीवन–गुणवत्ता में सुधार हुआ। यह योजना महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। उज्ज्वला योजना सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता का प्रभावी उदाहरण है।

13. बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात सुधारना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इससे लैंगिक भेदभाव कम करने और महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने में सहायता मिली है। यह योजना सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव

गरीबी में कमी

मनरेगा, NFSA, जन–धन, DBT जैसी योजनाओं ने कई राज्यों में गरीबी दर को उल्लेखनीय रूप से घटाया है।

सामाजिक समानता

SC/ST/OBC समूहों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लक्षित योजनाओं से सामाजिक समावेशन बढ़ा है।

आर्थिक सशक्तिकरण

श्रमिकों, किसानों, छोटे उद्यमियों और युवाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय एवं कौशल आधारित सहायता ने आर्थिक अवसर बढ़ाए हैं।

मानव विकास सूचकांक में सुधार

स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आवास से संबंधित योजनाओं ने मानव विकास सूचकांकों में उन्नति की है।

डिजिटल और वित्तीय समावेशन

आधार–आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

चुनौतियाँ

कार्यान्वयन अवरोध

- भ्रष्टाचार, बिचौलिया संस्कृति
- लाभार्थी पहचान की त्रुटियाँ
- राज्यों में असमान प्रशासनिक क्षमता
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल दिवाइड

सामाजिक संरचना से जुड़े अवरोध

- जाति–आधारित भेदभाव
- लैंगिक असमानताएँ
- सांस्कृतिक बाधाएँ

वित्तीय एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ

- योजनाओं का अतिविस्तार
- सीमित वित्तीय संसाधन
- योजनाओं में ओवरलैप

जागरूकता की कमी

ग्रामीण एवं हाशिए के समुदायों तक योजनाओं की जानकारी का सीमित प्रसार।

सुधार हेतु सुझाव

योजना प्रबंध में पारदर्शिता

- सामाजिक लेखा-जोखा (Social Audit)
- ओपन डेटा सिस्टम
- लाभार्थी ट्रैकिंग

सहभागी शासन

- ग्राम सभा, शहरी स्थानीय निकाय
- महिला SHGs की भागीदारी

योजना–एकीकरण

- संबंधित योजनाओं का क्लस्टर आधारित कार्यान्वयन
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लचीला ढांचा

डिजिटल ढाँचे को मजबूत करना

- इंटरनेट एवं डिजिटल साक्षरता विस्तार
- आधार–DBT प्रणाली में दक्षता

विशेष ध्यान–समूह आधारित रणनीति

- आदिवासी समुदाय
- एकल महिलाएँ
- प्रवासी श्रमिक
- दिव्यांगजन

निष्कर्ष

भारत में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय केवल एक संवैधानिक आदर्श नहीं, बल्कि एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। सरकारी वित्त–प्रायोजित योजनाओं ने समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन योजनाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पोषण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार लाए हैं।

हालाँकि, योजना–कार्यान्वयन में पारदर्शिता, लाभार्थी पहचान, क्षेत्रीय विषमताओं और वित्तीय प्रबंधन जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। यदि राज्य इन चुनौतियों का समाधान करते हुए सहभागी, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था विकसित करता है, तो भारत में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की संवैधानिक परिकल्पना पूर्णतः साकार हो सकती है।

इस प्रकार सरकारी वित्त–प्रायोजित योजनाएँ न केवल कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देती हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

संदर्भ सूची-

पुस्तकें-

1. सेन, अमर्त्य. (1999). *डेवलपमेंट ऐज़ फ़्रीडम*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. राव, एम. गोविंद. (2012). *पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. ड्रेज़, जीन, एवं सेन, अमर्त्य. (2013). *एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस*. पेंगुइन।
4. भाम्बरी, सी. पी. (2005). *इंडियन पॉलिटिक्स: इंस्टिट्यूशन्स एंड प्रोसेसेज़*. ऑक्सफोर्ड।
5. घोष, जयती. (2016). *डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया*. लेफ्टवर्ड।
6. महाजन, गुरप्रीत. (2010). *सोशल जस्टिस*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

7. दत्त, रुद्र एवं सुंदरम, के.पी.एम. (2020). *भारतीय अर्थव्यवस्था*. एस. चंद।

8. बासु, कौशिक. (2015). *एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द वेलफेयर स्टेट*. ऑक्सफोर्ड

सरकारी रिपोर्ट एवं प्रकाशन-

9. भारत सरकार. (1950). *भारत का संविधान*. भारत सरकार प्रेस।

10. योजना आयोग. (2014). *तेरहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज*.

11. नीति आयोग. (2021). *नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट*.

12. भारत सरकार. (2013). *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम*.

13. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2011). *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दिशानिर्देश*.

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2023). *MGNREGA वार्षिक रिपोर्ट*.

15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. (2022). *आयुष्मान भारत परिचय पत्र*.

16. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2021). *POSHAN अभियान दस्तावेज*.

लेख-

17. Dreze, J., & Khera, R. (2017). Social policy in India. *Economic & Political Weekly*, 52(1).
18. Sen, A. (2000). Social justice and development. *World Development*, 28(2).
19. Hirway, I. (2018). Employment guarantee in India. *Indian Journal of Labour Economics*, 61(1).
20. Thorat, S. (2009). Economic exclusion and poverty. *Indian Journal of Human Development*, 3(2).

वेबसाइट्स-

21. भारत सरकार. *ग्रामीण विकास मंत्रालय*. https://rural.gov.in
22. नीति आयोग. https://www.niti.gov.in
23. भारत सरकार. *आधार एवं DBT पोर्टल*. https://dbtbharat.gov.in
24. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण. https://pmjay.gov.in
25. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. https://wcd.nic.in
26. शिक्षा मंत्रालय. https://www.education.gov.in
27. कौशल विकास मंत्रालय. https://www.msde.gov.in
28. विश्व बैंक. https://www.worldbank.org
29. UNDP. (2023). *Human Development Report*. https://hdr.undp.org
30. Census of India. https://censusindia.gov.in